हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई0एस0ओ0 9001–2008 प्रमाणित संस्थान)

महत्त्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक सत्र 2018–19 से कक्षा आठवीं से हरियाणा राज्य के सभी राजकीय/अराजकीय विद्यालयों का कक्षा आठवीं का एनरोलमैन्ट लगाने का कार्य निकट भविष्य में आरम्भ किया जाना है। परन्तु अराजकीय विद्यालयों का कक्षा आठवीं का एनरोलमैंट का कार्य, Affiliation का कार्य पूरा होने के बाद आरम्भ किया जायेगा। जो विद्यालय केवल कक्षा आठवी तक शिक्षा विभाग हरियाणा से Permanent/Provisional मान्यता प्राप्त है वे सभी विद्यालय जल्द से जल्द अपना सम्बद्धता आवेदन–पत्र व सम्बद्धता शुल्क एवं अन्य दस्तावेज के साथ दिनांक 27.08.2018 तक बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 28.08.2018 से 07.09.2018 तक Rs. 5000/–रूपये Late Fee के साथ आवेदन कर सकते हैं।

1. जो विद्यालय पूर्व में केवल कक्षा आठवीं तक बोर्ड से स्थायी सम्बद्धता लिये हुए थे, उन विद्यालयों को 2000/–रूपये निरन्तरता शुल्क के साथ सम्बद्धता जारी रखने के लिए आवेदन किया जाना है।
2. जो Provisional Recognition प्राप्त विद्यालय प्रथम बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से कक्षा आठवीं तक की सम्बद्धता लेगा, वो विद्यालय 8000/–रूपये सम्बद्धता शुल्क के साथ आवेदन करेगा।

सम्बद्धता आवेदन–पत्र के साथ शिक्षा विभाग से प्राप्त मान्यता की प्रति, स्टाफ स्टैटमैन्ट दूरभाष नम्बर सहित एवं सोसाईटी के प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि कक्षा आठवीं के लिए सम्बद्धता हेतू आवेदन–पत्र बोर्ड मुख्यालय के अतिरिक्त जिला समन्वय केन्द्र अम्बाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, रोहतक में सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवाए जा सकते हैं।

सहायक निदेशक (सम्बद्धता)